प्रेस विज्ञप्ति
07.07.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स लील इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (पूर्व मेसर्स लॉयड इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड), इसके मुख्य प्रवर्तक भरत राज पुंज और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत लगभग 112.90 करोड़ रुपये की 22 चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित भूमि, औद्योगिक भूखंड, आवासीय संपत्तियां शामिल हैं, जिसमें ह्यूस्टन, टेक्सास (यूएसए) में एक आवासीय संपत्ति के साथ-साथ बैंक बैलेंस, सावधि जमा और म्यूचुअल फंड निवेश भी शामिल हैं। जांच से पता चला है कि ये संपत्तियां मेसर्स लील इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के प्रवर्तक परिवार के लाभकारी स्वामित्व और नियंत्रण में हैं और अपराध की आय को छिपाने के लिए उनके अपने नाम पर और संबंधित/शेल संस्थाओं के माध्यम से रखी गई थीं।

ईडी ने मेसर्स लील इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत राज पुंज और कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), नई दिल्ली द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और उसके बाद दाखिल किए गए आरोप पत्र से पता चला कि कंपनी के प्रवर्तकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ को झूठे और हेरफेर किए गए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करके धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश रची, जिससे एसबीआई और आईडीबीआई बैंक को लगभग 376 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ।

पीएमएलए के तहत जांच में पता चला है कि आरोपियों ने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड में हेरफेर करके बैंक के धन को निकालने की एक सुनियोजित योजना बनाई थी। कंपनी के खातों की पुस्तकों को गलत तरीके से बनाया गया था, जिसमें संपत्ति, इन्वेंट्री और प्राप्य के मूल्य को बढ़ाकर एक भ्रामक वित्तीय स्थिति प्रस्तुत की गई थी और बैंक क्रेडिट सुविधाओं का लाभ लेना जारी रखा गया था। जांच में आगे पता चला कि हेराफेरी किए गए धन को भारत के भीतर प्रमोटर-नियंत्रित और संबंधित कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से भेजा गया था और निवेश और ऋण के बहाने कई विदेशी सहायक कंपनियों को भी स्थानांतरित किया गया था। इन निधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बरामद नहीं किया जा सका, जिससे पता चलता है कि विदेशी संस्थाओं का उपयोग अपराध की आय को हटाने और छिपाने के लिए किया गया था। योजना के अंतिम, एकीकरण चरण में, हेराफेरी किए गए धन को संबंधित कंपनियों और प्रमोटर परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल संपत्तियों में परिवर्तित कर दिया गया था, जिनमें से कई बाद में बेची गईं, बिक्री की आय को प्रमोटर परिवार के व्यक्तिगत और परिचालन खर्चों के लिए लागू किया गया था, जिसमें श्रीमती रेणु पुंज, भारत राज पुंज की मां भी शामिल हैं।

जांच में पता चला कि हेराफेरी किए गए धन का एक बड़ा हिस्सा भारत के बाहर विदेशी सहायक संरचना के माध्यम से भेजा गया था, जो पूरी तरह से भारत राज पुंज द्वारा नियंत्रित था, तदनुसार, टेक्सास, यूएसए में स्थित आवासीय संपत्ति, जो भारत राज पुंज और उनकी पत्नी पूजा पुंज के संयुक्त स्वामित्व में है, को भी भारत के बाहर अपराध की आय का प्रतिनिधित्व करते हुए कुर्क किया गया है।

आगे की जांच जारी है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास में स्थित संपत्ति



भारत में स्थित संपत्ति







